

सु.नं. 87/19

अज्ञान सेवाय बनाम जिल्ला व अन्य

पृ. नं. 212

क्रम संख्या	दिनांक आज या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप में
14/3/22		<p>पत्रावली आज पेश हुई। कमील प्राणी उपस्थित। अप्रतीगठ के पत्रों को अवसर पूर्व में दिनांक 10/1/22 को अनेक अवसर दिये जाने पश्चात भी पत्रावली पेश नहीं की गई। पश्चात एक दिनांक 10/1/22 को अनेक अवसर प्राणी के द्वारा न्यायालय हाजि के समक्ष एक पत्रिका व प्रार्थना पत्र को अलग-अलग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। न्यायालय हाजि के द्वारा पत्रावली एवं पत्रिका पर मौजूद फस्ताविली का-सापखानी प्रकृत अवलोकन किया जाने पश्चात एक इस नतीजे पर पहुंचा है कि प्राणीगठ/वादीगठ के द्वारा वाद पत्र वाकत धौकठा एवं स्वायी (निवेदना) का पेश कर वाद वास्ता आराजी में से 4/5 हीलै धौकठा करवाने का अद्यतन वाद है इससे यह स्पष्ट है कि वादीगठ का वाद वास्ता आराजी में केवल 4/5 हीलै ही निहित है। अतः अनेक विवेचन के आन्तर प्राणी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वाकत आख्याय (निवेदना) का आक्षेप रूप से स्वीकार किया जाता है। एवं वाद वास्ता आराजी बयलरा संख्या 709/773 रकबा 3 बीघा वादी काम धाहा परवाट क्षेत्र बंगला मुं. अं. लि. क्षेत्र वस्सी गल्लालवासी हाजि में से प्रतिवादीगठ को 1/5 हीलै से अधिक खसि का खसान नहीं करने हेतु पाठ्य किया जाता है एवं उभयपक्षों के बीच पर वाद वास्ता आराजी की आशा करने के अलावा</p>


उप सचिव अदालत

बंगला जिला जयपुर

असिस्टेंट क्लर्क का कार्य नहीं करने हेतु पाववक

किया जाता है। पाववकी जे लल शुभाकर  
दफ्तार नम्बर से काम होने पर दखिल दफ्तार  
है।

सिर्जय आज्ञा दिनांक 14/3/22 को शुभे न्यायालय  
है। एवं जलालस शुभाकर गया।

  
उप खण्ड अधिकारी  
बस्ती (जिला जयपुर)